न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 10/2022

1.सुदेश खुराना पुत्री सन्ताराम पत्नि ओमप्रकाश जाति पंजाबी निवासी विनोवा विहार, जयपुर
2.कमलेश साहनी पुत्री सन्तराम पत्नि सुभाष जाति पंजाबी निवासी केन्द्रीय विहार जगतविहार, जयपुर
3. चन्द्रमोहिनी अरोडा पुत्री सन्तराम पत्नि अशोक अरोडा जाति पंजाबी निवासी 2/122 मालवीय नगर, जयपुर
4. प्रमिला बब्बर पुत्री सन्तराम पत्नि ब्रह्मस्वरूप जाति पंजाबी निवासी वैशाली नगर, जयपुर
5. किरण सचदेवा पुत्री सन्तराम पत्नि कैलाश जाति पंजाबी निवासी वैशाली नगर, जयपुर राज.

..अपीलांट

बनाम

1. चिमन लाल पुत्र संतराम जाति पंजाबी निवासी जवाहर नगर, सैक्टर 2, हाउस नंबर 559/2, जयपुर राज0
2. श्रीमती रेखा पत्नि बसनीकुमार
3. पल्लवी मेहरा पत्नि श्री विजेन्द्र कुमार मेहरा पुत्री बसनीकुमार जाति पंजाबी निवासी प्लॉट नंबर 70, फ्लैट नंबर 207, दादूदयाल नगर, मुहाना मण्डी, विजयपथ मानसरोवर जयपुर
4. श्रीमती पारूल डींगरा पत्नि विनोद डींगरा पुत्री बशनीकुमार जाति पंजाबी निवासी बी.के.–1, 151, शालीमार बाग, 7 केला गोदाम नई दिल्ली 88
5. गौरव आनन्द पुत्र बशनीकुमार आनन्द जाति पंजाबी निवासी पोकेट ए–3, म0नं0 176, सैक्टर 7 रोहिणी दिल्ली 85
6. श्रीमती शमी आनन्द पत्नि शिवकुमार जाति पंजाबी निवासी महावीर कॉलोनी दौसा जिला दौसा।
7. शिप्रा सेठी पत्नि दिनेश पुत्री शिवकुमार जाति पंजाबी निवासी आशीर्वाद फैशन मनिहारो का रास्ता लालजी सांड का रास्ता बाई कॉर्नर जयपुर।
8. संजय कुमार पुत्र सन्तराम जाति पंजाबी निवासी आगरा रोड दौसा जिला दौसा।
9. पृथ्वीराज पुत्र बंशीलाल जाति पंजाबी निवासी तिवाडी हॉस्पिटल के सामने रेल्वे स्टेशन के पास दौसा जिला दौसा।
10. कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 मनोहरलाल
11. शील कुमार पुत्र मनोहरलाल
12. पवन कुमार पुत्र स्व0 मनोहरलाल
13. रवन कुमार पुत्र स्व0 मनोहरलाल जाति पंजाबी निवासी राटाणी मार्केट मानगंज दौसा।
14. मोतियारानी पत्नि बंशीलाल जाति पंजाबी निवासी तिवाडी हॉस्पिटल के सामने रेल्वे स्टेशन के पास दौसा जिला दौसा।
15. नायब तहसीलदार दौसा जिला दौसा।
16. तहसीलदार दौसा जिला दौसा।

..रेस्पो0

अपील विरुद्ध धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरण सं.11 दिनांक 02.061989 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार दौसा जिला दौसा राज0

उपस्थित–1.श्री रामखिलाडी योगी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2.श्री बजरंग लाल शर्मा अधिवक्ता रेस्पों सं. 01 से 08
3.श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 11:00:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक: 30.4.2024

1.संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार दौसा ने दिनांक 02.06.1992 को ग्राम दलेलपुरा का नामान्तरण सं0 11 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2.अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स, अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 8 व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

Devendra

निरंतर 2 पर

3.अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नंबर 100, 101, 62 से 71 कुल किता 12 रकबा 7.47है. स्थित है। उक्त आराजी पूर्व में राजस्व रिकार्ड में अपीलांट्स के पिता सन्तराम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। उक्त आराजी अपीलांट की पैतृक आराजी है जिसमें अपीलांट्स के प्रारंभ से ही हक अधिकार निहित है। अपीलांट्स के पिता सन्तराम की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी का नामान्तरण केवल मात्र उनके पुत्र अर्थात अपीलांट्स के भाई चिमनलाल, शिवकुमार, बसनीकुमार, योगेन्द्र कुमार, संजय कुमार के नाम ही खोला गया। बसनीकुमार, शिवकुमार व योगेन्द्र कुमार का देहान्त हो गया है। बसनीकुमार के वारिसान रेस्पों. सं0 2 लगा0 5 है, शिवकुमार के वारिसान रेस्पों. सं0 6 व 7 है जिनके हक में उनके स्थान पर विरासत का नामान्तरण अभी नहीं खुला है। इसके अलावा सन्तराम के पुत्र योगेन्द्र कुमार का भी देहान्त हो गया है जिसकी पत्नि रीटा एवं पुत्री नेहा आनन्द ने अपने हिस्से का त्याग कर दिया है व योगेन्द्र की पत्नि रीटा ने पुनर्विवाह कर अन्यत्र चली गई है, जिसका उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नहीं है। उक्त आराजी पर अपीलांट्स भी अपने जीवन काल से काबिज है तथा अपीलांट्स के हक में भी कानूनन उक्त आराजी का विरासत का नामान्तरण खोला जाना न्यायोचित था, किन्तु अपीलांट्स के उपरोक्त वर्णित भाईयों ने साठ गांठ कर केवल अपने मात्र अपने नाम ही नामान्तरण खुलवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा का नामान्तरण सं0 11 दिनांक 2.6.1989 विधि, न्याय नियम एवं प्रकिया के विपरीत है। अधीनस्थ नायब तहसीलदार दौसा ने नामान्तरण खोलने समय मृतक सन्तराम पुत्र हेमराज के जायज व जायन्दा वारिसान की कोई जांच नहीं की। अपीलांट्स मृतक सन्तराम पुत्र हेमराज की जायन्दा पुत्री होने से कानूनन उसकी वारिस व उत्तराधिकारी है, किन्तु प्रश्नगत नामान्तरण खोले जाते समय वारिसानों की कोई जांच नहीं की गई है व केवल सन्तराम के पुत्रों के नाम ही नामान्तरण खोला जाकर कानूनी भूल की है। अपीलांट्स का अपने पिता के जीवन काल से कब्जा चला आ रहा है। नामान्तरण खोले जाते समय कब्जे की भी कोई जांच नहीं की गई है व बिना कब्जे की जांच किये व बिना कोई नोटिस जारी किये नामान्तरण खोले जाने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ नायब तहसीलदार दौसा ने उक्त नामान्तरण खोलते समय कानूनी तथ्य की भी अनदेखी करते हुए सरासर विधि विरूद्ध तरीके से गैर कानूनी प्रकियाए अपनाते हुए सन्तराम के पुत्रों के नाम ही नामान्तरण खोला गया है जो निरस्तनीय है।अधीनस्थ नायब तहसीलदार दौसा द्वारा पारित एवं खोला गया नामान्तरण, माननीय राजस्व मंडल, माननीय राज0 उच्च न्यायालय, व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलांट्स प्रारंभ से अपने पिता सन्तराम के जीवनकाल से उक्त आराजी पर अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त का लाभांवित होती चली आ रही है जिसे कभी भी उक्त प्रश्नगत नामान्तरण आदेश की कोई जानकारी नहीं हुई किन्तु अभी कुछ दिनों पूर्व रेस्पों. सं0 2 लगा0. 7 ने अपीलांट को ऐलानिया धमकी दी कि उक्त आराजी रिकार्ड में उनके पिता के नाम है तथा वे जल्द ही अपने पिता की विरासत का नामान्तरण अपने नाम खुलवायेंगे व भूमि का बेचान करेंगे व रेस्पों. सं0 1 से 8 ने भी अपीलांट को धमकी दी कि उक्त आराजी रिकार्ड में उनके नाम से है जिसे वे अपने नाम के हो रहे खातेदारी अंकन के आधार पर दीगर व्यक्तियों को रहन बय हस्तान्तरण करेंगे, जिस पर अपीलांट ने तहसील में आकर राजस्व रिकार्ड का मालुम किया तो उक्त प्रश्नगत नामान्तरण की जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन करने पर नकल दिनांक 11.3.2022 को प्राप्त [illegible] फरमाई जाकर अधीनस्थ नायब तहसीलदार दौसा द्वारा खोला गया नाम[illegible]11 दिनांक 2.6.1989 को निरस्त फरमाते हुए अपीलांट के हक [illegible] विरासत का नामान्तरण खोले जाने के आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 11:00:38 IST
Reason: SelfAttested

4.अधिवक्ता रेस्पों. सं. 01 लगा0 08 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पों0 सं0 1 से 8 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। नायब तहसीलदार दौसा द्वारा पारित प्रश्नगत नामान्तरण सं 11 दिनांक 2.6.1989 में अपीलांट्स का नाम रेस्पों0 सं0 1 से 8 के साथ जोड दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

Devendra

निरंतर 3 पर

5. राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि नायब तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरण सं0 11 दिनांक 02.06.1989 तस्दीक करते समय सहवन से अपीलांट्स का नाम छोड दिया गया होगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट को स्वयं को ध्यान में रखकर उक्त कार्यवाही नामांतरण तस्दीक होने से पूर्व में ही करवानी चाहिए थी, फिर भी यदि त्रुटि केवल अपीलांट के नाम छोडे जाने की हद तक ही है, तो तहसीलदार दौसा को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नायब तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 02.06.1989 को राजस्व कैम्प जीरोता खुर्द का नामान्तरकरण सं0 11 विरासत के आधार पर तस्दीक कर दिया गया। उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरण में सन्तराम पुत्र हेमराज के फौत होने पर सन्तराम की विरासत चिमनलाल, शिवकुमार, बसनीकुमार, योगेन्द्र कुमार, संजय कुमार पि. सन्तराम, मु0 पुष्पा देवी बेवा सन्तराम कौम खत्री पंजाबी के नाम नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जॉच एवं आदेशार्थ पेश किया गया। जिसके आधार पर मुताबिक पटवारी रिपोर्ट जॉच गिरदावर के अंकित कर नायब तहसीलदार दौसा ने दिनांक 02.06. 1989 को नामान्तरण स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरण के खिलाफ अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील दायर कर, अपीलांट्स का नाम राजस्व रिकार्ड में जोडने हेतु इस्तदुआ की गई। रेस्पों0 सं0 1 से 8 के हक में नामांतरण संख्या 11 दिनांक 2.6.1989 वाके ग्राम दलेलपुरा को तस्दीक किया गया है, जिसमें अपीलांट्स जो कि मृतक सन्तराम की पुत्रियां है, का नाम छोड कर केवल रेस्पों. सं. 01 से 08 के नाम नामा0 तस्दीक किया गया है। अपीलांट्स मृतक सन्तराम पुत्र हेमराज की जायन्दा पुत्री होने से कानूनन उसकी वारिस व उत्तराधिकारी है। हम प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

7.उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 11 वाके ग्राम दलेलपुरा पर नायब तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.1989 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं अपीलांट्स द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 अप्रेल, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 11:00:38 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर,दौसा